प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं. 6056/2021

सुरक्षित किया गया :21.03.2025

पारित किया गया : 09.06.2025

भगवानी राम भतपहरी पिता स्वर्गीय श्री लादूराम भतपहरी उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम–जौंदा पोस्ट–कोंड, थाना–गोबरा नवापारा अभनपुर, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य ,सचिव के द्वारा , वन मंत्रालय विभाग, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

2 – वन संरक्षक रायपुर सर्कल, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3 – प्रभागीय वन अधिकारी, वन प्रभाग उदंती, गरियाबंद जिला–गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु:––श्री गोविंद राम मीरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री योगेश चंद्र शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसंत कैवार्ट, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादीगण हेतु :––श्री किशन लाल साहू, उप शासकीय अधिवक्ता।

माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायाधीश

सीएवी आदेश

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 21.09.2021 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा उसकी सेवा समाप्ति के संबंध में की गई अपील को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 05.06.2010 (अनुलग्नक पी/2) के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

2. अभिलेख से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:---

(क) याचिकाकर्ता वर्ष 1985 से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और उसकी सेवाएं दिनांक 07.08.2006 को सहायक ग्रेड-III के पद पर नियमित की गई थीं।याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए वाद चलाया गया था और उसे सत्र विचारण क्रमांक 197/88 में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दिनांक 31.01.1991 को पारित आदेश द्वारा संदेह का लाभ देते हुए उक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था।

(बी) दाण्डिक प्रकरण के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता 1985 से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में भी कार्य कर रहा था और उसकी सेवा के नियमितीकरण के समय, उत्तरवादीगण/राज्य ने याचिकाकर्ता से सत्यापन फॉर्म जमा करने को कहा है, जिसमें कंडिका12 में यह भरना आवश्यक है कि क्या उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया है या उस पर वाद चलाया गया है या उसे जेल में रखा गया है या उससे ज़मानत ली गई है। यह भी पूछा गया है कि क्या कोई जुर्माना लगाया गया है या उसे किसी न्यायालय से दोषी ठहराया गया है।यह भी पूछा गया है कि क्या उन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा से वंचित किया गया है या किसी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से रोका गया है, जिसका उत्तर उन्होंने 'नहीं' में दिया है।

(सी) उत्तरवादी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि वह स्पष्ट करें कि क्या उनके विरुद्ध न्यायालय/विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में कोई मामला लंबित है।उन्हें सत्यापन प्रपत्र के पैराग्राफ 12(ए) में मांगी गई जानकारी को स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया गया और कहा गया कि यदि प्रपत्र जमा करते समय किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में कोई मामला लंबित है तो मामले की प्रकृति की जानकारी दी जानी चाहिए।याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर "नहीं" दिया है।यह कॉलम संख्या 11 आगे यह प्रावधान करता है कि यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है तो याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए।

(डी) उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 05.06.2010 के आदेश के तहत, याचिकाकर्ता की सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने शासकिय कर्मचारी के लिए निर्धारित सत्यापन प्रपत्र परिशिष्ट-1 के कॉलम 12(ए) में दाण्डिक प्रकरण संख्या 19/88 के संबंध में अपने विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख नहीं किया है।दिनांक 05.06.2010 के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.06.2010 को उत्तरवादी संख्या 2 के समक्ष अपील प्रस्तुत की और दिनांक 19.07.2010 के आदेश द्वारा उसे बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया। उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 05.06.2010 के आदेश और उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 19.07.2010 के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष WP(S) संख्या 4094/2010 के तहत एक रिट याचिका दायर की और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2021 के आदेश द्वारा इसका निराकरण कर दिया गया, जिसमें मामले को अपीलीय प्राधिकारी अर्थात उत्तरवादी संख्या 2 को वापस भेज दिया गया, साथ ही निर्देश दिया गया कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को सुनने के बाद नियम 1966 के नियम 27(2) के अनुसार अपील पर नए सिरे से विचार करें और निर्णय लें।उत्तरवादी संख्या 2 ने अपने आदेश दिनांक 21.09.2021 के तहत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसे खारिज कर दिया है।अतः, यह याचिका दिनांक 05.06.2020 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) और अपीलीय आदेश दिनांक 21.09.2021 (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती देती है।

3. उत्तरवादी संख्या 1 से 3 ने अपना जवाब मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए दाखिल किया है कि याचिकाकर्ता को शुरू में एक दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 31.12.1988 से पहले उत्तरवादी के विभाग में काम कर रहा था, उसके बाद उसकी सेवाओं को नियमितीकरण आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार दिनांक 07.08.2006 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) के तहत "सहायक ग्रेड- □□□" के पद पर नियमित कर दिया गया था।

यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रपत्र के खंड 12(ए) में आवश्यक दाण्डिक प्रकरण के बारे में जानकारी जानबूझकर छिपाई है, इस प्रकार सत्यापन प्रपत्र में उल्लिखित खंड के अनुसार, यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो याचिकाकर्ता की सेवाएं उत्तरवादी द्वारा समाप्त की जा सकती हैं क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा कॉलम संख्या 12 में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाई जाती है, उत्तरवादी ने सत्यापन प्रपत्र में दी गई अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 05.06.2010 को उचित रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया है।

अपीलीय प्राधिकारी ने अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री पर विचार किया है और 21.09.2021 को तर्कसंगत आदेश पारित किया है, इस प्रकार आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है और रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता समाज के कमजोर वर्ग से है और वह 1985 से ही कार्यरत है तथा वर्ष 2006 में नियमित हुआ है और सेवा के नियमितीकरण के बाद भी उसने 4 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है, ऐसे में, करियर के अंतिम चरण में, सेवा से बर्खास्तगी अत्यंत कठोर है।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को दाण्डिक प्रकरण में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है, ऐसे में दाण्डिक प्रकरण से संबंधित जानकारी का खुलासा न करना इतना घातक नहीं है कि उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकें।इस प्रकार, वे आक्षेपित आदेशों को रद्द करने हेतु प्रार्थना करते है।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस तर्क को पुष्ट करने के लिए **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमल नयन मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2010) 3 एससीसी 169], जयंतीभाई रावजीभाई पटेल बनाम नगर पालिका परिषद, नरखेड एवं अन्य [सिविल अपील संख्या 6188/2019 (21.08.2019 को निर्णीत)], तथा इस न्यायालय द्वारा भगवत राम साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) एवं अन्य [डब्ल्यूपीएस संख्या 1519/2005 (06.05.2010 को निर्णीत)], डेनी सिंह ठाकुर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [डब्ल्यूपीएस संख्या 6424/2010 (04.10.2016 को निर्णीत)] के मामले में पारित निर्णय का उल्लेख किया।**

5. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत करते है कि चूँकि याचिकाकर्ता ने अपने पूर्ववृत्त और दाण्डिक प्रकरण में संलिप्तता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, जो कि गंभीर प्रकृति का है, इसलिए नियुक्ति

प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी, वैध और न्यायोचित है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए, **वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम अनिल कंवरिया [सिविल अपील संख्या 5743-5744/2021 (17.09.2021 को निर्णीत)] और रेशमलाल बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपीएस संख्या 86/2016 (20.01.2022 को निर्णीत)] के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया।**

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अत्यंत संतुष्टिपूर्वक अवलोकन किया है।

7. दस्तावेज तथा पक्षों के अभिवचनों के अवलोकन से, इस न्यायालय के निर्धारण हेतु विवाद्यक सामने आया हैः---

"क्या सत्यापन प्रपत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के कारण याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करना उत्तरवादीगण के लिए उचित था और यदि नहीं, तो याचिकाकर्ता को क्या अनुतोष दी जा सकती है?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.अभिलेखों से, यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता 1985 से उत्तरवादी के यहाँ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त था और यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को रायपुर के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत अपराध करने के दाण्डिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया था। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए 31.01.1991 को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता की सेवाएँ 07.08.2006 को नियमित कर दी गईं।इसके बाद, याचिकाकर्ता की सेवाएं 07.08.2006 को नियमित किया गया।यह भी विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12(ए) में अपने आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया है, तदनुसार, उसकी सेवाएं 05.07.2010 को समाप्त कर दी गईं।कॉलम संख्या 12 (ए) में सत्यापन फॉर्म में जानकारी छिपाने के संबंध में विधि शुरू से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच का विषय है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अवतार सिंह बनाम भारतीय खाद्य निगम [(2016) 8 एससीसी 471]** के मामले में, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियोक्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का सारांश दिया है और कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं कि कब समाप्ति की चरम कार्रवाई या कब नियोक्ता द्वारा कुछ उदार दृष्टिकोण लिया जा सकता है।माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 38 में सिद्धांत का सारांश दिया है तथा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः---

"38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है तथा जहां तक संभव हो उन्हें समझाने तथा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है।उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैंः

38.1.किसी अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता को दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में दी गई जानकारी, चाहे सेवा में आने से पहले या बाद में, सत्य होनी चाहिए तथा अपेक्षित जानकारी को छिपाया या गलत नहीं बताया जाना चाहिए।

38.2.झूठी सूचना देने पर सेवा समाप्ति या उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी सूचना देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, का ध्यान रख सकता है।

38.3 नियोक्ता को निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखना होगा।

38.4.यदि किसी दाण्डिक प्रकरण में संलिप्तता की सूचना को दबाया गया हो या गलत सूचना दी गई हो, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी हो और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के ज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है:---

38.4.1.ऐसे मामले में जो प्रकृति में मामूली हो और जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई हो, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या कोई छोटा-मोटा अपराध, जिसके बारे में यदि खुलासा कर दिया जाता तो पदधारी संबंधित पद के लिए अयोग्य नहीं होता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, चूक को अनदेखा करके तथ्यों को छिपाने या गलत सूचना देने की बात को नजरअंदाज कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38.4.2.जहां दोषसिद्धि ऐसे मामले में दर्ज की गई है जो मामूली प्रकृति का नहीं है, वहां नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है या उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

38.4.3.यदि नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से संबंधित मामले में तकनीकी आधार पर पहले ही दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और यह स्पष्ट दोषमुक्ति का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ नहीं दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववर्ती के संबंध में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी की सेवा जारी रखने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5.ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने समाप्त हो चुके दाण्डिक प्रकरण की घोषणा सच्चाई से की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उसे उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

38.6.ऐसे मामले में जब चरित्र सत्यापन प्रपत्र में किसी मामूली प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में सत्यतापूर्वक तथ्य घोषित किया गया हो, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपने विवेकानुसार, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार को नियुक्त कर सकता है।

38.7.कई लंबित मामलों के संबंध में जानबूझकर तथ्य छिपाने के मामले में ऐसी झूठी सूचना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और नियोक्ता उम्मीदवारी रद्द करने या सेवाएं समाप्त करने का उचित आदेश पारित कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हों, उचित नहीं हो सकता है।

38.8.यदि दाण्डिक प्रकरण लंबित है, लेकिन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं है, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकारी अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9.यदि कर्मचारी की सेवा स्थायी है, तो सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी देने या छिपाने के आधार पर समाप्ति/हटाने या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10 छिपाई गई या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए, सत्यापन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं।केवल वही जानकारी प्रकट की जानी चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था।यदि कोई ऐसी जानकारी, जो मांगी नहीं गई है, परंतु सुसंगत है, नियोक्ता के ज्ञान में आती है, तो उपयुक्तता के प्रश्न का समाधान करते समय उस पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में किसी तथ्य के बारे में, जिसकी जानकारी मांगी भी नहीं गई थी, जानकारी छिपाने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38.11.किसी व्यक्ति को सत्य दमन या मिथ्या सुझाव का दोषी ठहराए जाने से पहले, तथ्य की जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए।

39. हम संदर्भ का उत्तर तदनुसार देते हैं।मामले को गुण–दोष के आधार पर विचार हेतु उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य बनाम मितुल कुमार मामले में उक्त निर्णय पर पुनः विचार किया है।जन [2023 आईएनएससी 754] ने अनुच्छेद 14 और 15 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

– "14. उक्त मामले के अनुसार, अनुच्छेद 38.10 प्रतिवादी की सहायता के लिए है, क्योंकि इस मामले में, सत्यापन रोल में मांगी गई जानकारी विशिष्ट और अस्पष्ट प्रकृति की नहीं थी। उत्तरवादी ने विशेष रूप से वह जानकारी प्रकट की है जो प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी।उत्तरवादी को छोटे–मोटे अपराधों के लिए निर्दोष दोषमुक्त किए जाने के बाद के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी द्वारा सूचना छिपाने के विवाद्यक को नज़रअंदाज़ करते हुए, उपयुक्तता के प्रश्न पर निष्पक्ष रूप से विचार करना आवश्यक है।यहाँ तक कि ऐसे मामले में जहाँ लंबित दाण्डिक प्रकरण से संबंधित सूचना सत्यतापूर्वक प्रस्तुत की गई हो और उसमें दोषमुक्त होने पर भी, नियोक्ता के पास नियुक्ति पत्र जारी करते समय पूर्ववृत्त पर विचार करने का विवेकाधिकार है।अवतार सिंह (सुप्रा) मामले के कंडिका 38.5 के अनुसार उच्च न्यायालय नियुक्ति

पत्र जारी करने का निर्देश नहीं दे सकता था।हमारे विचार में, नियुक्ति आदेश जारी करना नियोक्ता के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को उक्त विवेकाधिकार नहीं छीनना चाहिए था। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित करते हैं।

15. ऊपर की गई चर्चा के तहत, हम महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के मुद्दे पर न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।चूँकि उत्तरवादी किसी जघन्य/गंभीर अपराध या नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध में शामिल नहीं था, और तथ्य यह है कि उक्त दाण्डिक प्रकरण में उसे बाइज्जत दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए, हम अपीलकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह उत्तरवादी के मामले पर विचार करे और इस आदेश के पारित होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पश्चिम बंगाल पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति का आदेश जारी करने का निर्देश देते हैं। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि प्राधिकारी ऊपर की गई चर्चा पर ध्यान देते है और भावी उम्मीदवार की उपयुक्तता और पूर्ववृत्त का आकलन करने में अपने विवेक का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति आदेश जारी होने की स्थिति में, उत्तरवादी केवल सेवा में निरंतरता और समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों के बराबर वेतन निर्धारण सहित काल्पनिक लाभों का हकदार होगा तथा वह अपनी नियुक्ति की तिथि तक वेतन और बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि याचिकाकर्ता पर नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत आरोप लगाया गया था, जो गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन पीड़िता की सुनवाई न्यायालय में जांच नहीं की गई क्योंकि विचारण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया कि किसी ने भी याचिकाकर्ता को पीड़िता का अपहरण करते हुए नहीं देखा था और तदनुसार, संदेह का लाभ देकर याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया।

11. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1995 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और 21 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वर्ष 2006 में उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था और उन्होंने लगभग 4 वर्षों तक सहायक ग्रेड– III के रूप में काम किया था, मेरा विचार है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित समाप्ति आदेश दिनांक 05.06.2010 (अनुलग्नक पी/2) और अपीलीय आदेश दिनांक 21.09.2021 (अनुलग्नक पी/1) रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उक्त कृत्य और चूक के लिए कठोर और अनुपातहीन है, तदनुसार, उन्हें रद्द किया जाता है।इस प्रकार, इस न्यायालय के निर्धारण के लिए उभरे बिंदु का उत्तर आंशिक रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में और आंशिक रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ दिया जाता है।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि बर्खास्तगी अवैध है, इसलिए याचिकाकर्ता पूर्ण पिछली मजदूरी के साथ पुनः स्थापित होने का हकदार है।यह तर्क खारिज किए जाने लायक है क्योंकि

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कहीं भी यह नहीं कहा कि बर्खास्तगी की दिनांक से वह बेरोजगार रहा और उसके द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद उसे कोई काम नहीं दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछला वेतन दिए जाने के संबंध में स्थापित विधि स्थिति को देखते हुए, यह कर्मचारी का कार्य है कि वह सेवा समाप्ति के दौरान अपनी बेरोजगारी के बारे में तर्क दे और साबित करे और एक बार कर्मचारी अपनी बेरोजगारी साबित कर दे तो इसका भार नियोक्ता पर आ जाता है।

13. जहां तक पिछला वेतन दिए जाने का प्रश्न है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णय मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को बिना किसी पूर्व वेतन के काल्पनिक वरिष्ठता के साथ बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कहीं भी यह तर्क नहीं दिया है कि समाप्ति की तारीख से, वह बेरोजगार रहा, प्रदीप बनाम मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड और अन्य [(2022) 3 एससीसी 683] के **मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित** विधि के तहत जिसमें यह कंडिका 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः–

"12. यह निस्संदेह सत्य है कि जब यह प्रश्न उठता है कि क्या पिछला वेतन दिया जाना है और पिछला वेतन कितना होगा, तो ये ऐसे मामले हैं जो मामले के तथ्यों पर निर्भर करेंगे जैसा कि दीपाली गुंडू सुरवासे (सुप्रा) में उल्लेख किया गया है।ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि कर्मचारी की कोई गलती नहीं थी और फिर भी, उसे अवैध रूप से नौकरी से निकाला गया या ऐसी नौकरी से निकाला गया जो वास्तव में दुर्भावना से प्रेरित है, उसे उस रोजगार के लाभों से वंचित करना अनुचित हो सकता है जिसका वह अवैध/दुर्भावनापूर्ण समाप्ति के बिना आनंद ले सकता था।तब न्यायालय का प्रयास प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार यथास्थिति को पुनर्स्थापित करने का होना चाहिए।आरोपों की प्रकृति, मूल्यांकन के अनुसार बर्खास्तगी का सटीक कारण और, निश्चित रूप से, यह प्रश्न कि क्या कर्मचारी लाभकारी रूप से कार्यरत था, ऐसे मामले होंगे जिन पर न्यायालय विचार किया जायेगा।"

14. तदनुसार, रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकृति दी जाती है, जिससे याचिकाकर्ता को उसके औपचारिक पद अर्थात सहायक ग्रेड–III पर सेवा की निरंतरता के साथ, लेकिन पिछले वेतन के बिना पुनर्स्थापित किया जा सके।यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा समाप्ति की तिथि से लेकर उत्तरवादी द्वारा पुनः नियुक्ति तक, सम्पूर्ण सेवा को बकाया वेतन को छोड़कर सभी सेवा लाभों के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा तथा बीच की अवधि के लिए उसका वेतन काल्पनिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

सही/–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur